नगर पालिका परिषद, जौनपुर

ई–टेन्डर निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, जौनपुर के समस्त पंजीकृत ठेकेदारो से ई–टेन्डर निविदा सूचना उनकी पंजीकरण सीमा के अर्न्तगत निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदाये निम्न प्रकार से आमंत्रित की जाती है। **निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाइट http://etender.up.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।**

निविदा शुल्क धनराशि नगर पालिका कार्यालय के खाता संख्या– 08661010000040 ओयिन्टल बैंक ऑफ कामर्स जिसका आई0एफ0एस0 कोड ORBCO100866 है में इण्टरनेट बैंकिग/NEFT/RTGS द्वारा जमा करना होगा प्राप्त रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।

निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।निविदा खोले जाने की तिथि में यदि अवकाश होगा तो निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।

निविदा विवरण प्रारूप में उल्लिखित कार्यो का अलग–अलग विवरण, उनकी आगणन लागत, निविदा की अर्नेस्टमनी, निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त बेबसाईट पर देखा जा सकता है। विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग–अलग निविदा आमंत्रित है।

शर्ते–

1. निविदा शुल्क एवं अर्नेस्टमनी की स्कैन कापी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं शासनादेश संख्या– 1/2018/3070/78-2-2018/42आई0टी0/2017(22)दिनांक– 03 जनवरी 2018 का पालन विभाग द्वारा पूर्ण रूप से किया जायेगा।
2. **जिन ठेकेदारो का नवीनीकरण विभाग में वर्ष 2018–19 हेतु हो चुका है एवं http://etender.up.nic.in के माध्यम से आर्थराइज्ड रजिस्टर्ड ठेकेदार/फर्म निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे।**
3. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम की निविदा डालने की दशा में शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2 आडिट/09टी0सी0/2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर परफोरमेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा।निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा शर्तो के विरूद्व निविदा डालने वाले ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
5. इन्टरलाकिंग ब्रिक्स से सम्बन्धित कार्यो में शासनादेश सं0–3747/नौ–5–2013–120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 10.09.2013 के अनुपालन में इन्टरलाकिंग ब्रिक्स जो आई0आर0सी0(इण्डियन रोड काग्रेस) विशिष्टियो के अनुरूप न्यूनतम एम0–30(30M.Pa-Megapascal) ग्रेट के अनुरूप की मान्य होगी।

6. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को बिना कोई कारण बताये निविदा को निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. ठेकेदार कार्य स्थल पर लगे श्रमिको का उप श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर निर्माण विभाग को सूचित करेंगे।
8. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
9. निविदा की दरे निविदादाता द्वारा आगणन से ऊँची/नीची प्रतिशत में डाली जायेगी।
10. निविदादाताओं को कार्य योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ उसके अगले 5 वर्षो तक रख–रखाव करना अनिवार्य है। जिसमें जमानत राशि (5%)रख–रखाव अवधि बीतने के पश्चात सड़को के समुचित रख रखाव होने की दशा में रिलीज की जायेगी तथा शासनादेश संख्या 24 वी0आई0पी0 (1)/नौ–5–2017–120 बजट/2013 नगर विकास अनुभाग–5 दिनांक 24 अगस्त 2017 का पालन ठेकेदार को अनिवार्य रूप से करना होगा।
11. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. नियमानुसार आयकर एवं G.S.T., श्रमकर, रायल्टी आदि की कटौती की जायेगी।
13. निविदा के साथ 10 प्रतिशत अग्रिम धरोहर राशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से बन्धक कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पेपर पर 07 दिवस में अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक बान्ड/शपथ पत्र भी देना होगा।
15. सी0सी0 निर्माण कार्य में बाइब्रेटर चलाना अनिवार्य होगा।
16. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
17. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

आनलाइन निविदा प्रकाशन की तिथि	**17.10.2018 प्रातः 12:00 बजे से**
ठेकेदार/फर्म द्वारा आनलाइन निविदा अपलोड करने की तिथि–	**17.10.2018 प्रातः 13:00 बजे से**
ठेकेदार/फर्म द्वारा आनलाइन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि–	**06.11.2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक**
निविदा खोलने की तिथि	**06.11.2018 अपरान्ह 02:00 बजे तक**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निधि	जमानत/ धरोहर राशि	निविदा मूल्य 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1	वार्ड रामनगर भड़सरा मो0 किशुनपुर में श्री मानिकलाल के मकान से श्री इंदु सिंह के मकान होते हुए लाइन बाजार थाने तक तक इन्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	14वाँ वित्त	168625.00	1686+304	5 माह

12	मो0 धरनीधरपुर में अहियापुर फिटर रोड़ पर हनुमान मन्दिर से सोनू के मकान होते हुए जुर्बर के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	14वाँ वित्त	240473.00	2405+433	5 माह
13	मो0 सिपाह में गोपालदास साहू के मकान से दिलीप यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग व आर0सी0सी0 नाली कार्य।	14वाँ वित्त	109664.00	1097+197	4 माह
14	वार्ड डेरायूसुफ कुत्तूपुर शाहगंज रोड़ पर श्रीमती लक्ष्मीना देवी के घर रामकरन पाल के घर होते हुए शिवमन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण।	14वाँ वित्त	152773.00	1528+275	5 माह
15	मो0 ख्वाजादोस्त में रामटाकिज के सामने से पुराने आजमगढ़ रोड़ तक (विद्या चाय वाले) तक इण्टरलाकिंग कार्य।	14वाँ वित्त	156120.00	1561+281	5 माह
16	मो0 प्रेमराजपुर दिलीप मौर्य के मकान से रविश मौर्य के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	14वाँ वित्त	105992.00	1060+191	4 माह
17	वार्ड सैदनपुर मे श्री हरी प्रसाद यादव के प्लाट से श्री अशोक यादव व श्री रामधनी यादव के घर होते हुये श्री महाबल यादव के घर तक इन्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	अवस्थापना	239964.00	2400+432	5 माह
18	वार्ड मतापुर में श्री राजेश सिंह के मकान से डॉ गिरीश सिंह के मकान होते हुए मुख्य रोड उत्कर्ष मार्बल स्टोर तक इन्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	अवस्थापना	100613.00	1006+181	3 माह
19	वार्ड मतापुर में एन0 एच0 56 पर पटेल धर्मशाला से मास्टरप्लान कार्यालय के निकट पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	अवस्थापना	110552.00	1106+199	4 माह
20	वार्ड नक्खास में काली माता मन्दिर से महावीर स्कूल होते हुए सद्भावना मोड़ तक इन्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	अवस्थापना	123656.00	1237+223	4 माह
21	वार्ड उमरपुर परमानतपुर बैंकर्स कालोनी में श्री जी0एस0 यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14वाँ वित्त	173512.00	1735+312	5 माह
22	वार्ड उमरपुर में कृषि पार्क के सामने इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14वाँ वित्त	193847.00	1938+349	5 माह
23	मो0 उमरपुर वार्ड स्थित लोहिया उद्यान पार्क	14वाँ वित्त	137894.00	1379+248	4 माह

	का सौन्दर्यीकरण कार्य।				
24	मो0 केरारकोट में सद्भावना पुल के पास किला के पीछे दुकानो का निर्माण कार्य।	14वॉं वित्त	781283.00	7813+1406	5 माह

(कृष्ण चन्द्र)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

माया टण्डन
(माया टण्डन)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

पत्रांकः– 1611-1611(iv)/आह-निर्माण

दिनांकः– 16-10-2018

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (भू/राजस्व) जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. नगर मजिस्ट्रेट, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पालिका कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. एन0आई0सी0 जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, जौनपुर।

कार्यालय- नगर पालिका परिषद, जौनपुर

दिनांक 17-1-19

सं0 22 [illegible]

श्री श्रीमती विमला सिंह

ग्राम [illegible], विशुनपुर, जौनपुर

विषय- मो0 [illegible] वार्ड [illegible] का सौन्दरीकरण कार्य

उपरोक्त कार्य के निमित आपको सहमति पत्र/टेण्डर/कोटेशन दिनांक 22-12-18 के क्रम में अध्यक्ष महोदय ने अपने आदेश दिनांक 14-1-19 द्वारा ~~दिनांक~~ धनांक 1378802-25 की दर पर स्वीकृत प्रदान किया है ।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप जमानत की धनराशि रू0 137894-00 एन0एस0सी0/के0वी0पी0/एफ0डी0आर0 को अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से प्लेज्ड होगा तथा स्टैम्प पेपर पर मु0 11032-00 के इस पत्र के पाने के दिनांक से सात दिन के अन्दर प्रेषित कर अनुबन्ध की औपचारिकता पूर्ण कर लेवें ।

श्री [illegible] अवर अभियन्ता से इस कार्य के सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित करें ।

कार्य अत्यन्त अवश्यक है । कार्यादेश प्राप्त करते ही कार्य दिनांक 20-1-19 से आरम्भ करके दिनांक 19-5-19 तक समाप्त कर देंवे । निर्धारित अवधि तक औपचारिकता न पूर्ण करने व निर्देशित समय से कार्य प्रारम्भ न करने पर उक्त आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अधिकारी

नगर पा0 परिषद, जौनपुर

सं0

दिनांक

प्रतिलिपि- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को इस आशय से कि वह कार्य की मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें और यह भी देख लें कि जमानत का रूपया व स्टैम्प पेपर पालिका में जमा हो गयें है । साथ ही यह भी देख ध्यान रखें कि कार्य निर्धारित समय के अन्दर समाप्त हो जाना है ।

विमलासिंह

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अधिकारी

नगर पा0 परिषद, जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

INDIA NON JUDICIAL

311
30.1.19

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 73AD 517934

समक्षः– **अधिशासी अधिकारी**
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

हलफनामा मिनजानिब **श्रीमती विमला सिंह पत्नी श्री राजेन्द प्रसाद सिंह उम्रः–65 वर्ष निवासीः–ग्राम धनेजा, विशुनपुर जिलाः–जिला जौनपुर** हस्ब जैल हूँ।

1– मै बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मै नगर पालिका परिषद जौनपुर के निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार हूँ।

2– मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि **वार्ड उमरपुर स्थित लोहिया उद्यान पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य रूपयाः–13,78,802=25** का प्राप्त किया है।

3– मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मुझे नियमानुसार जमानत के रूप में अनुबन्ध भरा जाना है, जिसमें मैने प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ के आदेश सं0 स0वि0का0नि0–5–1712/ग्यारह–2006–500 (डब्लू–29)/2005 दिनांक 02–05–2006 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नियोजित रिट याचिका सं0 35097/2004 पर मे0 स्ट्रॉ, कन्सट्रक्शन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशानुसार रू 100/– स्टैम्प पर अनुबन्ध भर कर दिया है। उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल है।

4– मैं बहलफ बयान करता/करती हूँ कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य में उक्त रिट याचिका में आदेश पारित होने पर तद्नुसार उसका पालन पुर्णरूपेण करूँगा/करूँगी।

उपरोक्त मजमून मेरे इल्म जाति के सच व सही है कोई बात न झूठ है और न छिपाई गई है। ईश्वर मेरी मदद करे।

बिमलासिंह

बिमलासिंह

NOTARY
TULSI RAM VAISH
Advocate
Distt. H.Q. Jaunpur
R.N. 27 (31) 2001
GOVT. OF UTTAR PRADESH

Solemnly affirmed ... (1) Notaries Act ...
Identified ...
Tulsi Ram Vaish
R.N. 27 (31)

30.1.19

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

रामजी सहाय
उपरोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 491445

अनुबन्ध-पत्र,

आज दिनांक 30-1-19 को यह अनुबन्ध नगर पालिका परिषद, जौनपुर प्रथम पक्ष तथा श्रीमती बिमला सिंह नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

1— यह कि द्वितीय पक्ष निविदा पत्र दि0 22-12-18 की शर्तों के अनुरूप इस कार्य का ठेका प्रथम पक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के आदेश दि0 14-1-19 द्वारा मु0 उमरपुर वार्ड स्थित ओखियापुर उद्यान पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य रू0 1378802.25 का प्राप्त किया है।

2— यह कि इस निर्माण कार्य को द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि 4 माह के अंदर पूरा कर देगा। यदि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य निर्धारित अवध के अन्दर पूरा न करेगा तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह प्रतिदिन 100/— की दर से अथवा अनुबन्ध में उल्लिखित कार्य की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को मियाद बढ़ाने का अधिकार आवश्यकतानुसार होगा।

3— यहकि द्वितीय पक्ष ने कार्य पर 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि मु0 137894- की एफ0डी0आर/सी0डी0आर0/डी0आर0/एन0एस0सी/ ~~आदि~~ रसीद सं0 T.D.R. 667640 दिनांक 20-11-18 रू0 140000.00 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पास जमा कर दिया। अगर द्वितीय पक्ष काम अन्दर मियाद/खत्म पूर्ण न करेगा तो नगर पालिका को अधिकार होगा कि धारा—2 में से मुनासिब मिन्हाँ कर लें।

4— यह कि प्रथम पक्ष को कार्यादेश प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करना होगा यदि कार्य प्रारम्भ नही करता है तो जमानत धनराशि एवं धरोहर धनराशि को जब्त करके ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

5— यहकि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूरा करने में असमर्थ अथवा किसी कारणवश असफल रहता है, तो उसे निर्धारित अवधि के अन्दर ही अवधि बढ़ाने हेतु स्वयं उपस्थित होकर/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र देना होगा।

6— यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य कराते समय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेगा। कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग में कराना अनिवार्य होगा अन्यथा भुगतान रोका जायेगा।

बिमलासिंह

7— यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही कार्य करेगा।

8— यहकि ठेकेदार निर्माण कार्य में लगने वाली निर्माण सामग्री मसाला आदि निर्धारित मानक के अनुसार करेगा तथा लगाने से पहले अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद, जौनपुर को दिखाकर पास कराने के बाद ही इस्तेमाल करेगा, बिना पास शुदा कोई मसाला/सामग्री कार्य में प्रयोग नही करेगा।

9— यह कि निर्माण कार्य कराते समय या बाद में यदि यह जानकारी में आये कि कार्य में सामग्री का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार नही किया गया है और कार्य खराब हुआ है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि उसे गिरवा दें/उखड़वा दे ऐसी दशा में पुनः निर्माण कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, जिसका अतिरिक्त भुगतान पाने का अधिकार ठेकेदार को न होगा।

10— यह कि कार्य प्रारम्भ करने के बाद द्वितीय पक्ष बिना किसी उचित कारण के यदि काम पूरा न कराने अथव निर्धारित अवधि में कार्य पूरा न करें, तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष का ठेका समाप्त कर दे और ठेकेदार की जमानत जब्त कर ले तथा शेष कार्य को पूरा करने में यदि कोई अतिरिक्त व्यय हो तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

11— यह कि शासनादेश संख्याः—715/नौ—5—2018—120 बजट/2003, दिनांकः—17.3.2018 के अनुपालनार्थ ठेकेदार कार्य योजना के क्रियान्वयन/निर्माण के साथ—साथ उसके अगले 05 वर्षो तक रख—रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफार्मेन्स गान्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख—रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, तथा 05 प्रतिशत जमानत धनराशि अन्तिम बिल के 06 माह पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

12— यह कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क आदि को किसी विभाग/गृहस्वामी अथवा संस्था द्वारा खोदे जाने एवं क्षतिग्रस्त किये जाने पर ठेकेदार की जिम्मेदारी नही होगी।

13— यह कि ठेकेदार द्वितीय पक्ष नगर पालिका परिषद, जौनपुर से कार्य की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर नियमानुसार भुगतान पाने का अधिकार होगा।

14— शासनादेश के अन्तर्गत नियमानुसार ठेकेदार के बिल से आयकर, जी0एस0टी, श्रमकर एवं रायल्टी आदि की कटौती की जावेगी।

15— कार्यादेश में उल्लिखित धनराशि से 10 प्रति0 तक के कार्य का पुनरीक्षण व्यय अनुमान का कार्य द्वितीय पक्ष को करना होगा।

16— निविदा में दिये गये किसी भी आइटम की घट—बढ़ पर ठेकेदार को कोई अधिकार न होगा। कार्य स्थल पर जितना कार्य करेगा उसी के भुगतान पाने का अधिकार होगा।

17— निविदा में दिये गये किसी भी आइटम को आवश्यकतानुसार स्थल पर कराने या न कराने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। इसका कोई दावा ठेकेदार का न होगा।

18— एकस्ट्रा आइटम का भुगतान निविदा/शेड्यूल में दी गई दरों के आधार पर ही किया जायेगा, जो आइटम शेड्यूल के न होंगे का भुगतान बाजार भाव की न्यूनतम दर पर किया जायेगा।

19— कार्यस्थल पर अवस्थित किसी भी सम्प्रदाय/धर्म की संरचना आदि के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी, इसका उत्तरदायित्व एकल रूप से द्वितीय पक्ष पर होगा।

20— कार्य को पूरा किये जाने से पहले रोक देने या आंशिक कार्य कराने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, जौनपुर को होगा।

21— यहकि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन द्वितीय पक्ष द्वारा किये जाने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

ठेकेदार	अधिशासी अधिकारी,	अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर	नगर पालिका परिषद, जौनपुर	नगर पालिका परिषद, जौनपुर

LAT 25°44'14" N
LONG 82°40'44" E

MONDAY 05.06.2019
LOCAL TIME 15:53:31

Ground floor Yashwant katra DT collage road near Jeycees Chauraha, Uttar Pradesh 222002, India, Uttar Pradesh, India, 222002

LAT 25°44'14" N

LONG 82°40'44" E

MONDAY 05.06.2019

LOCAL TIME 15:53:17

Ground floor Yashwant katra DT collage road near Jeycees Chauraha, Uttar Pradesh 222002, India, Uttar Pradesh, India, 222002

LAT 25°44'14" N MONDAY 05.06.2019

LONG 82°40'43" E LOCAL TIME 15:53:13

Ground floor Yashwant katra DT collage road near Jeycees Chauraha, Uttar Pradesh 222002, India, Uttar Pradesh, India, 222002

LAT 25°44'13" N

LONG 82°40'42" E

MONDAY 05.06.2019

LOCAL TIME 15:50:46

Ground floor Yashwant katra DT collage road near Jeycees Chauraha, Uttar Pradesh 222002, India, Uttar Pradesh, India, 222002

LAT 25°44'13" N

LONG 82°40'42" E

MONDAY 05.06.2019

LOCAL TIME 15:50:27

Ground floor Yashwant katra DT collage road near Jeycees Chauraha, Uttar Pradesh 222002, India, Uttar Pradesh, India, 222002